लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5674
दिनांक 06.04.2022 को उत्तर दिये जाने के लिये

भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना

5674. श्री सी.आर.पाटिलः

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वैश्विक स्तर पर भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हस्तशिल्प को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए दी गई सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हस्तशिल्प को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए शिल्पकारों को जोड़ने के संबंध में कोई मंच/नेटवर्क प्रदान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) से (ख): जी हां महोदय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा भारतीय हस्तशिल्प को वैश्विक रूप से बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये जाते हैं। यह पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों के आयोजन/भागीदारी हेतु सहायता अनुदान प्रदान करता है और चयनित कारीगरों को महत्वपूर्ण वैश्विक विपणन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, 105 अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों का आयोजन/सहभागिता की गई जिससे 1443 कारीगर/निर्यातक प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए।

(ग): हस्तशिल्प को सहयोग एवं बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम एवं व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना के अंतर्गत दी गई सहायता का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार और योजनावार विवरण अनुबंध-I में संलग्न है।

(घ) से (ङ): जी हां महोदय, वस्त्र मंत्रालय कारीगरों को उनकी वैश्विक उपस्थिति बनाए रखने हेतु विपणन मंच प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से एक वेब पोर्टल विकसित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, कारीगरों को प्रत्यक्ष विपणन मंच प्रदान करने के लिए वर्चुअल विपणन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

अनुबंध-I

दिनांक 06.04.2022 को उत्तर दिये जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5674 के भाग (ग) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) एवं व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जारी की गई निधि।

राशि (लाख रूपए में)

क्रम सं	राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार	एनएचडीपी	सीएचसीडीएस
1.	अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह	127.78	-
2.	आन्ध्र प्रदेश	1,173.80	129.09
3.	अरुणाचल प्रदेश	161.33	-
4.	असम	997.48	-
5.	बिहार	554.52	-
6.	चंडीगढ़	74.06	-
7.	छत्तीसगढ़	343.29	-
8.	दिल्ली	5,258.44	-
9.	गोवा	61.92	-
10.	गुजरात	1,686.43	-
11.	हरियाणा	400.50	-
12.	हिमाचल प्रदेश	704.89	569.54
13.	जम्मू एवं कश्मीर	641.52	596.45
14.	झारखण्ड	636.15	-
15.	कर्नाटक	669.94	-
16.	केरल	464.65	-
17.	लद्दाख	62.77	60.75
18.	मध्य प्रदेश	1,290.42	1,000.58
19.	महाराष्ट्र	647.44	-
20.	मणिपुर	1,061.31	-
21.	मेघालय	201.16	-
22.	मिजोरम	122.73	-
23.	नागालैंड	320.29	-
24.	ओडिशा	488.17	550.00
25.	पुदुचेरी	248.40	-
26.	पंजाब	874.92	-
27.	राजस्थान	1,313.36	2,636.98
28.	सिक्किम	158.37	-
29.	तमिलनाडु	680.16	-
30.	तेलंगाना	507.25	163.67
31.	त्रिपुरा	187.72	-
32.	उत्तर प्रदेश	4,129.08	595.36
33.	उत्तराखंड	519.42	-
34.	पश्चिम बंगाल	662.06	-
35.	अखिल भारत	699.72	-
	कुल	**28,131.45**	**6,302.42**

(-)* सीएचसीडीएस के अंतर्गत, केवल इन राज्यों को ही निधि स्वीकृत की गई है जिनसे व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

****